

न्यूज टुडे

प्रधान मंत्री ने मध्य प्रदेश में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी

यह पार्क धार जिले के भैंसोल गांव में पीएम मित्र योजना के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। इससे स्थापित वस्त्र निर्माण केंद्र विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। इससे स्थानीय कपास उत्पादकों को अधिक लाभ मिलेगा।

प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र/PM MITRA) योजना के बारे में

- ▶ **शुरुआत:** इसे 2021 में वस्त्र मंत्रालय ने शुरू किया था।
- ▶ **उद्देश्य:** वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए बड़े पैमाने पर एकीकृत और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना।
 - ⊕ यह योजना प्रधान मंत्री के 5F विज़न से प्रेरित है। '5F' फॉर्मूले में शामिल हैं- फार्म टू फाइबर; फाइबर टू फैक्ट्री; फैक्ट्री टू फैशन तथा फैशन टू फॉरेन।
- ▶ **योजना की अवधि:** 2021-22 से 2027-28 तक।
- ▶ **कार्यान्वयन एजेंसी:** स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPV) के ज़रिए किया जाएगा, जिसका स्वामित्व राज्य और केंद्र सरकार के पास संयुक्त रूप से होगा।
- ▶ **वित्त-पोषण:**

- ⊕ वस्त्र मंत्रालय द्वारा पार्क SPV को प्रति पार्क 500 करोड़ रुपये तक विकासवात्मक पूंजीगत सहायता के रूप में वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा।
- ⊕ परियोजना के तेजी से कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम मित्र पार्क की इकाइयों को प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये तक की प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (CIS) प्रदान की जाएगी।
- ▶ **पीएम मित्र पार्क:** निम्नलिखित 7 स्थानों पर पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाने हैं:
 - ⊕ तमिलनाडु (विरुधुनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ) और महाराष्ट्र (अमरावती)।
- ▶ **पालता और चयन संबंधी मानदंड:** पार्क की स्थापना राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारें न्यूनतम 1000 एकड़ के भूखंड प्रदान करेंगी। ये भूखंड समेकित और स्वामित्व विवाद से मुक्त होने चाहिए। इसके अलावा, संबंधित राज्य की अनुकूल और स्थिर औद्योगिक/ वस्त्र नीति भी चयन का एक मापदंड है।
 - ⊕ मित्र पार्क ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड हो सकते हैं।

पीएम मित्र योजना के संभावित परिणाम

- ▶ **निवेश को आकर्षित करना:** इसे क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के साथ-साथ स्थानीय निवेश सहित बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ▶ **प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना:** यह अवसंरचना के विकास और इकोनॉमी ऑफ स्केल को सुगम बनाकर संभव होगा।
- ▶ **आर्थिक प्रभाव:** इस योजना से लगभग 70,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने तथा 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

60वें अनुसमर्थन के साथ हाई सीज ट्रीटी (खुले समुद्र पर संधि) के लागू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ

हाई सीज ट्रीटी को 2023 में “राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (BBNJ) पर अंतर-सरकारी सम्मेलन” द्वारा अपनाया गया था।

- ▶ इस संधि में प्रावधान किया गया था कि 60 देशों द्वारा अनुसमर्थन मिलने के उपरांत 120 दिन बाद यह लागू होगी।

हाई सीज ट्रीटी के बारे में

- ▶ इसका औपचारिक नाम 'राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता' (BBNJ समझौता) है।
- ▶ यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है।
- ▶ इसे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) के समझौते के तहत अपनाया गया है।
 - ⊕ यह UNCLOS का तीसरा कार्यान्वयन समझौता है। इसके अलावा, अन्य दो समझौते 1994 में UNCLOS के कार्यान्वयन से संबंधित समझौता और 1995 का संयुक्त राष्ट्र मत्स्य भंडार समझौता हैं।
- ▶ **हाई सीज यानी खुला समुद्र:** यह वह समुद्री क्षेत्र है, जो किसी भी देश के अधिकार-क्षेत्र से बाहर होता है। यह वैश्विक साझा क्षेत्र है, जिसका सभी देश वैध अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों जैसे- नौवहन, हवाई उड़ान, समुद्र के नीचे केबल और पाइपलाइन बिछाने आदि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
- ▶ **भारत और हाई सीज ट्रीटी:**
 - ⊕ 2024 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की थी।
 - ⊕ कार्यान्वयन मंत्रालय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।

हाई सीज ट्रीटी चार मुख्य मुद्दों का समाधान करती है



समुद्री आनुवंशिक संसाधन: इसमें लाभों का न्यायसंगत और साझा बंटवारा शामिल है।



क्षेत्र-आधारित प्रबंधन साधन: जैसे समुद्री संरक्षित क्षेत्र।



पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।



क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट जारी की

यह 10 वर्ष की अवधि (2013-14 से 2022-23) में सभी 28 राज्यों के लिए राजकोषीय मापदंडों के संबंध में व्यापक डेटा, विश्लेषण और रुझान प्रदान करती है। यह रिपोर्ट अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वर्ष 2022-23 में राज्यों का कुल ऋण देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 22.17 % था।
 - राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम (2003) मानदंड: राज्य सरकारों का ऋण 2024-25 तक GDP के 20% तक होना चाहिए।
- ऋण-GDP अनुपात: यह सबसे अधिक 40.35 प्रतिशत पंजाब में दर्ज किया गया। इसके बाद नागालैंड (37.15 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (33.70 प्रतिशत) का स्थान है।
- राजकोषीय घाटा: सभी 28 राज्यों में राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है। यह गुजरात में GSDP के 0.76% से लेकर हिमाचल प्रदेश में GSDP के 6.46% तक रहा है।
 - FRBM मानदंड: राज्यों द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में GSDP के 3.5% का राजकोषीय घाटा हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया था।
- राजस्व सृजन क्षमता में व्यापक अंतर: राज्यों के राजस्व में स्वयं के कर (State's Own Tax Revenue: SOTR) की हिस्सेदारी हरियाणा में 70% है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह मात्र 9% है।

विविध भारतीय राज्यों में सार्वजनिक ऋण इतना अधिक क्यों है?

- सब्सिडी का बढ़ता बोझ: इसके लिए कृषि ऋण की माफी, निशुल्क/ सब्सिडी युक्त सेवाएं (जैसे- कृषि और घरों के लिए बिजली); किसानों, युवाओं, महिलाओं आदि को नकद हस्तांतरण इत्यादि जिम्मेदार हैं।
- उच्च प्रतिबद्ध व्यय (जैसे- ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी पर व्यय आदि): 2013-14 से 2022-23 की अवधि के दौरान, यह राजस्व व्यय के 42% से अधिक और SGDP के 6% से अधिक रहा है। (2013-14 और 2016-17 की अवधियों को छोड़कर)
- अन्य: सीमित राजस्व संग्रहण (जैसे- GST पर निर्भरता) आदि।

सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी (CMLRE) के अध्ययन में ELSA 3 जहाज के डूबने से हुए भारी पारिस्थितिक नुकसान का पता चला

गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ELSA 3 जहाज केरल तट के पास दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में डूब गया था। इस जहाज में टन भर फर्नेस ऑयल और लो-सल्फर डीजल भरा हुआ था।

- पवन और समुद्री धाराओं के चलने के बावजूद, समुद्र में तेल एक ही जगह पर जमा रहा। इससे यह पता चला है कि बंद कम्पार्टमेंट्स से लगातार तेल का रिसाव हो रहा था, जिसकी वजह से समुद्री तेल रिसाव की आपदा हुई।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- रासायनिक संदूषण और प्रदूषकों का बने रहना: दुर्घटना के चलते जहाज का मलबा भारी धातुओं जैसे निकेल, सीसा, कॉपर और वैनेडियम का एक स्थानीय स्रोत बन गया। ये सभी धातुएं पानी और तलछट में पाई गई हैं।
 - तेल रिसाव के अलावा, तट पर पॉलीप्रोपैथिक हाइड्रोकार्बन (PAH) (नेफ्रथलीन, फ्लोरीन, एन्थ्रेसीन आदि) और अन्य पेट्रोलियम-व्युत्पन्न प्रदूषक भी पाए गए।
- समुद्री खाद्य श्रृंखला पर जैविक प्रभाव:
 - जैव-संचयन: समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार माने जाने वाले जून्लैकटन में पेट्रोलियम-व्युत्पन्न प्रदूषकों का उच्च स्तर पाया गया है।
 - जैव-संचयन का अर्थ है किसी प्रदूषक (जैसे कीटनाशक या भारी धातु) का समय के साथ किसी जीवित जीव में संचित होते होना।
 - मछली के अंडे और लार्वा: इनमें क्षय/ मृत्यु के लक्षण दर्ज किए गए हैं। इससे अरब सागर में मत्स्यन के समक्ष खतरा पैदा हो गया है।
 - बैथिक जीव: संवेदनशील प्रजातियों की संख्या में गिरावट देखी गई है और प्रदूषण-सहनशील कीड़े एवं द्विकपाटी (bivalves) जीवित पाए गए हैं। यह गंभीर पारिस्थितिक तनाव और पर्यावास क्षरण का स्पष्ट संकेत है।
 - समुद्री नितल या उसके निकट रहने वाले जीवों को बैथिक जीव कहा जाता है।



जहाजों से होने वाले समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन या MARPOL/ मार्पोल कन्वेंशन (भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है)
- तेल प्रदूषण तैयारी, प्रतिक्रिया और सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (OPRC) 1990 (भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है)
- बंकर तेल प्रदूषण क्षति के लिए सिविल दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (2001): भारत ने 2015 में इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की थी।
- राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना, 1996: भारतीय तटरक्षक बल को तेल प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।

शोधकर्ताओं ने AI द्वारा दुनिया का पहला फंक्शनिंग वायरल जीनोम बनाया

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से पहला वायरल जीनोम विकसित किया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी AI मॉडल्स का उपयोग DNA अनुक्रम, एकल प्रोटीन और एक से अधिक प्रोटीन इकाइयों वाले समूह जनरेट करने के लिए किया जा चुका है।

AI द्वारा डिजाइन किए गए वायरल जीनोम के बारे में

उपलब्धि: वैज्ञानिकों ने सुसंगत वायरल जीनोम डिजाइन करने के लिए AI का उपयोग किया है। इससे बैक्टीरियोफेज का निर्माण हुआ है, जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया को प्रभावी ढंग से लक्षित/ नष्ट कर सकता है।

तरीका: शोधकर्ताओं ने Evo AI जीनोमिक मॉडल का उपयोग करके एक छोटे बैक्टीरियोफेज ($\Phi X174$) को पुनः डिजाइन किया, जो बैक्टीरिया ई. कोलाई को संक्रमित करता है।

जैव विज्ञान में AI के संभावित उपयोग

जैव प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा में: इससे दवाओं और टीकों के विकास में तेजी लाई जा सकती है, जिससे उपचार अधिक प्रभावी हो सकेगा।

जीवाणु नियंत्रण: इसके द्वारा दवा-प्रतिरोधी जीवाणुओं को लक्षित करने या नष्ट करने के लिए विशेष वायरस तैयार किए जा सकते हैं।

अनुसंधान: यह औद्योगिक, कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रयोग के लिए नए अवसर उपलब्ध कराएगा।

उदाहरण के लिए- डीपमाइंड के अल्फाफोल्ड ने 50 साल पुरानी चुनौती “प्रोटीन स्ट्रक्चर/ शेप प्रिडिक्शन” को हल कर दिया है।

सिंथेटिक बायोलॉजी: यह जैव ईंधन, जैव निम्नीकरणीय सामग्री और इंजीनियर्ड सूक्ष्मजीवों के विकास को सक्षम बनाता है।

अन्य: यह जीन इंटरैक्शन, एवोलूशन एंड रेगुलेशन के बारे में गहरी समझ प्रदान करेगा।

जैव विज्ञान में AI के उपयोग से संबंधित मुद्दे

दोहरे-उपयोग संबंधी जोखिम: इस प्रौद्योगिकी का उपयोग खतरनाक रोगाणुओं या जैव-हथियारों के निर्माण के लिए किया जा सकता है।

जैव सुरक्षा: इससे वायरस या जीवाणुओं के गैर-इरादतन प्रसार से पारिस्थितिकीय और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।

बायो एथिक्स और विनियमन: इससे संबंधित वैश्विक दिशा-निर्देशों का अभाव जवाबदेही से जुड़ी चिंताएं उत्पन्न करता है।

AI पर निर्भरता: AI पर अत्यधिक निर्भरता से मानवीय पर्यवेक्षण कम हो सकता है, जिससे त्रुटियों का जोखिम बढ़ सकता है।

अन्य खबरियां



भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (National Archives of India: NAI)

राष्ट्रीय अभिलेखागार ने राष्ट्रीय अभिलेखपाल समिति (National Committee of Archivists: NCA) की 50वीं स्वन जयंती के अवसर पर आयोजित बैठक की सह-मेजबानी की।

राष्ट्रीय अभिलेखागार, पेशेवर अभिलेखपालों का अखिल भारतीय संगठन है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता NAI के महानिदेशक करते हैं।

इसका कार्य देश के अलग-अलग अभिलेखागार विभागों के सामने आने वाली व्यावसायिक और तकनीकी समस्याओं के समाधान पर विचार करना है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI) के बारे में

स्थापना: 1891 में कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में इम्पीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के रूप में।

मंत्रालय: केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय।

वर्तमान अवस्थिति: नई दिल्ली।

क्षेत्रीय कार्यालय: भोपाल

तीन रिकॉर्ड केंद्र: भुवनेश्वर, जयपुर और पुडुचेरी।

उद्देश्य: महत्वपूर्ण और स्थायी मूल्य वाले अभिलेखों का संरक्षण करना, जिनमें सार्वजनिक अभिलेख, निजी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र संबंधी अभिलेख और माइक्रोफिल्म, आदि शामिल हैं।

अध्यक्षता: इसके अध्यक्ष को अभिलेखागार महानिदेशक (Director General of Archives) कहते हैं। वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियम, 1997 को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।



इंडिया AI मिशन

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने घोषणा की है कि इंडिया AI मिशन के तहत देशभर में 500 डेटा लैब स्थापित किए जाएंगे।

इंडिया AI मिशन के बारे में

शुरुआत: इसे 2024 में MeitY ने लॉन्च किया था।

लक्ष्य: कंप्यूटिंग तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करके, डेटा की गुणवत्ता बढ़ाकर, और स्वदेशी AI क्षमताओं को विकसित करके AI इनोवेशन को बढ़ावा देना।

कार्यान्वयन एजेंसी: इंडियाAI, जो MeitY के तहत एक स्वायत्त व्यावसायिक प्रभाग है।

आधार: यह सात स्तंभों पर आधारित है, जैसे इंडियाAI इनोवेशन सेंटर, इंडियाAI कंप्यूट क्षमता, आदि।



H-1B वीजा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने H-1B वीजा आवेदनों पर 100,000 डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाने वाले प्रावधान पर हस्ताक्षर किए हैं।

H-1B वीजा के बारे में

यह संयुक्त राज्य अमेरिका का गैर-आप्रवासी वीजा है, जो कुशल कामगारों को विशेष व्यवसायों में अस्थायी रूप से कार्य करने की अनुमति देता है।

विशेष व्यवसाय: इनमें आमतौर पर IT, इंजीनियरिंग, और चिकित्सा पेशा शामिल हैं। इनके लिए स्नातक डिग्री या इसके बराबर के अनुभव की आवश्यकता होती है।

स्पोसरशिप: इस वीजा के लिए नियोक्ता (कंपनियों) का स्पोसरशिप अनिवार्य है।

वैधता: यह शुरुआत में 3 साल के लिए वैध होता है। हालांकि इसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

वार्षिक सीमा: हर साल 65,000 वीजा जारी किए जाते हैं, और एडवांस-डिग्री धारकों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा उपलब्ध होते हैं।



विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत दो गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के पंजीकरण के नवीनीकरण को मंजूरी न देने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है।

➤ केंद्र सरकार ने FCRA की धारा 7 के उल्लंघन के आधार पर पंजीकरण के नवीनीकरण को खारिज कर दिया था।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के बारे में

➤ नोडल मंत्रालय: केंद्रीय गृह मंत्रालय।

➤ उद्देश्य: विदेशी अंशदान और आतिथ्य को विनियमित और निगरानी करना, तथा इन सुविधाओं या विदेशी फंड का राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में उपयोग करने से रोकना।

➤ FCRA की धारा 7: यह धारा किसी भी व्यक्ति या संगठन को, जिसने अधिनियम के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त किया है, ऐसे फंड को किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगाती है।

⊕ अपवाद: किसी अनिवासी भारतीय द्वारा अपनी व्यक्तिगत बचत से, सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किए गए अंशदान को विदेशी अंशदान नहीं माना जाता है।



संयुक्त राष्ट्र (UN) 1267 समिति

पाकिस्तान और चीन द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और मजीद ब्रिगेड को UN 1267 प्रतिबंध व्यवस्था के अंतर्गत सूचीबद्ध करने के प्रयास को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अवरुद्ध कर दिया।

UN 1267 समिति के बारे में

➤ इस समिति का गठन 1999 में तालिबान, अल-कायदा और उनके सहयोगी समूहों/व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की निगरानी के लिए किया गया था।

➤ इसे ISIS और अल-कायदा प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है।

➤ इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के सभी स्थायी और अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं।

➤ मुख्य कार्य: प्रतिबंधित संगठनों और व्यक्तियों की संपत्ति फ्रीज करना, उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, उन पर हथियारों के लेनदेन पर रोक लगाना, आदि।



पूम्पुहार (कावेरीपट्टनम)

पूम्पुहार के तट पर दो दशकों से अधिक समय बाद समुद्र के अंदर पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

पूम्पुहार के बारे में

➤ बंदरगाह नगरी: यह एक प्राचीन चोल बंदरगाह नगर था। यह तमिलनाडु में कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित था। यह चोल साम्राज्य की दूसरी राजधानी भी थी।

➤ प्राचीन व्यापार: संगम काल में यह समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यह बंदरगाह दक्षिण भारत को विदेशी बाजारों से जोड़ता था।

⊕ यह बंदरगाह मोती, मसाले और वस्त्रों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था।

➤ ऐसा माना जाता है कि प्राचीन नगर पूम्पुहार समुद्र में डूब गया था। इसका विस्तृत उल्लेख तमिल महाकाव्य मणिमेखलई में मिलता है।

⊕ तमिल महाकाव्य मणिमेखलई की रचना संगम काल के कवि सत्तनार ने की थी।

सुर्खियों में रहे स्थल



एस्टोनिया (राजधानी: टालिन)

रूसी विमानों द्वारा एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किए जाने के बाद एस्टोनिया ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) से सलाह की है।

भौगोलिक अवस्थिति

➤ एस्टोनिया उत्तरी यूरोप का बाल्टिक देश है।

⊕ बाल्टिक क्षेत्र में एस्टोनिया के अलावा लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं।

➤ स्थलीय सीमाएँ: पूर्व में रूस और दक्षिण में लातविया से लगती हैं।

➤ जलीय सीमाएँ: उत्तर में फिनलैंड की खाड़ी और पश्चिम में बाल्टिक सागर हैं।

भौगोलिक विशेषताएं

➤ एस्टोनिया के कुल भूभाग का लगभग 22% हिस्सा दलदली (स्वैप) और पंक-युक्त (बॉग्स) है।

➤ सबसे ऊँची चोटी: सूर मुनामेगी

➤ सबसे लंबी नदी: वोहंडू (Võhandu)।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर